



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). 1).उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय मय हमराह आरक्षी मोनू राय थाना बहिलपुरवा द्वारा अ0सं0 37/25 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस के आरोपी अभियुक्त संजय पुत्र साधू शरण निवासी सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराही आरक्षी नीतू द्विवेदी ,महिला आरक्षी शिल्पा थाना मऊ द्वारा मु0सं0 मु0नि0 167/25 अपराध सं0-203/24 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस के वारंटी अभियुक्तगण 1.अनिल पुत्र गया प्रसाद 2.देवीदीन पुत्र कल्लू राम निवासीगण ग्राम बेलहा मजरा बरियारीकलां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह यादव व आरक्षी संतोष यादव थाना पहाडी द्वारा अ0सं0 47/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र सुन्दरलाल निवासी कस्बा व थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव मय हमराह आरक्षी अश्वनी सिंह थाना राजापुर द्वारा अ0सं0 151/18 धारा 452,323,504,506,354 आईपीसी की वारंटी अभियुक्त श्रीमती सरोजा देवी पत्नी जगमोहन भभेट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 शिवसागर दुबे मय हमराह आरक्षी मेराज अली व म0 आरक्षी संयोगिता चौहान थाना मानिकपुर के द्वारा मु0अ0सं0 231/17 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त बिटुलिया पत्नी शंकर कोल उम्र 51 वर्ष निवासी बढैया मजरा ऐलहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). उ0नि0 श्री रामप्रीत मय हमराह आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 118/16 धारा 411,413,420,467,468 भादवि व 15 डीए एक्ट के वारण्टी शिवपूजन उर्फ शिवशंकर यादव पुत्र बहादुर यादव निवासी ग्राम रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). उ0नि0 श्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह कोतवाली कर्वी द्वारा मु0अ0सं0 22/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम देवनाथ सिंह पटेल पुत्र स्व० छैलविहारी नि० सलेपुर कोलगदहिया थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). उ0नि0 श्री अरविन्द पाण्डेय मय हमराह उमेन्द्र प्रताप सिंह व मु0आरक्षी बृजेन्द्र सिंह,आरक्षी अनिल यादव थाना सरधुवा द्वारा 40/18 धारा 77/14/10 भारतीय वन अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त 1. मंगल पुत्र घुर्वा निवासी औदहा थाना सरधुवा 2. बल्लू पुत्र संतराम निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरधुवा 3. इन्द्रराज यादव पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम दरसेडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(9). उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा मय हमराह आरक्षी प्रदीप यादव,आरक्षी अमरजीत मौर्य थान सरधुवा द्वारा मु0अ0सं0 96/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी राजकिशोर सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी तीरधुमाई सुरकी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

वादी श्री रामबाबू पुत्र स्व० सहदेव निषाद निवासी ग्राम बहादुरपुर मजरा अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 03/10/26 को शाम करीब 07.00 बजे वादी व शिवनरेश पुत्र बुधुवा, जय पुत्र शिवनरेश, संतोष पुत्र बुधुवा, उदयनारायण पुत्र रामदीन, नत्थू पुत्र शिवगोपाल आदि अपने घरों के सामने

आपस में बातचीत कर रहे थे तभी बजरंग आश्रम की तरफ से दो मोटरसाइकिल से चार व्यक्ति आये और गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर किया। हम लोग बाल-बाल बच गये। हम लोगो ने एक जुट होकर एक मोटरसाइकिल जिस पर दो व्यक्ति सवार थे पकड़ लिया तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ में एक का नाम अमन पटेल व दूसरे का अनिल पटेल बताया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 598/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण -

दिनांक 03/10/2026 को सूचना पर डायल 112 व थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर 02 अभियुक्तों को पकड़ा गया। जिनके कब्जे व निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर नं0 UP96 P 6348 तथा 02 अदद मोबाइल (1. रेडमी स्लेटी रंग, 2. रियलमी सफेद रंग) बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता का विवरण -

1. अमन पटेल पुत्र बलराज निवासी धूस मैदान पुरानी बाजार बालाजी मन्दिर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र 22 वर्ष।

2. अनिल पटेल पुत्र तेजनारायण निवासी ग्राम नोनार थाना पहाड़ी जिला चित्रकूट उम्र 24 वर्ष
बरामदगी -

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

2. 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर UP96 P 6348

3. 02 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2. डायल 112 पीआरवी वाहन 7211 -चालक राहुल पाल, होमगार्ड उपेन्द्र नाथ